न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/16/2024	2024/116	06.11.2024	02.07.2025

1. बाबूलाल पुत्र हजारीलाल वाल्मिकी, निवासी ग्राम बख्तपुरा हाल निवासी फैमिली लाईन सरस डेयरी के पास, मालवीय नगर, अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. सियाराम पुत्र हरलाल कौम गुर्जर,
2. छुट्टनलाल पुत्र हरलाल जाति गुर्जर,
   निवासीयान ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर राज0।
3. उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थीगण

4. ओमप्रकाश पुत्र हजारीलाल,
5. गोपालसिंह पुत्र हजारीलाल,
6. राजकुमार पुत्र हजारीलाल,
7. सुशीलादेवी पुत्री हजारीलाल वाल्मिकी,
   निवासीयान ग्राम बख्तपुरा, हाल निवासीयान फैमिली लाईन सरस डेयरी के पास, मालवीय नगर, अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

अपीलप्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.04.2022

उपस्थितः—
01—श्री बाबूलाल वाल्मिकी

— प्रार्थी

निर्णयः—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.04.2022 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में ग्राम रूंध बीणक की आराजी हाल खसरा न0 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद रजि0 तलबी/सूचना के अनुपस्थित।

प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी अलवर जिसके द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध बीणक तहसील व जिला अलवर राज० को बेजा तौर पर निशुल्क नियमितन किये जाने का खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ कानून आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्ध उक्त मुकदमा दायर किया गया है। आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 42 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम संघ बीणक तहसील व जिला अलवर राज० प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को दिनांक 12.10.1970 को आंवटन की गई थी। उसके पश्चात प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को दिनांक 19.10.1970 को घटना बही क्रमांक सख्या 18/16 के जरिये मौके पर दखल दिया गया था, किन्तु उक्त आराजी का नामांतकरण गलत तरीके से बिना प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को किसी प्रकार की सूचना के सहायक भू—प्रबंध अधिकारी अलवर राज०

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ने रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी गाम सीरावास तहसील व जिला अलवर राज० के नाम नांताकरण संख्या 6 दर्ज व तस्दीक कर दिया। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सीरावास में रहता ही नही है और ना ही श्रीमति प्रेमदेवी का उक्त आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन द्वारा राजस्व अपील संख्या 81/1994 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी अलवर में पेश की गई जो दिनांक 29.04.1995 स्वीकार करते हुए नामांतकरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुन जांच हेतु सहायक भू प्रबंध अधिकारी अलवर के यहां रिमाण्ड कर दिया जिस निरस्तीकरण का नोट राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2051 में लगा कर आराजी को गलत तरीके से सिवचाचक दर्ज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी की माता द्वारा वर्ष 2015 में उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष राजस्व वाद बअनुवान श्रीमति प्रेमदेवी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया गया जो वाद आज दिनांक तक जेरे तजवीज है।

उक्त वाद के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बालाबाल असल अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से साजबाज होकर कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / नियमन / 2022/1029 दिनांक 08.04.2022 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम निशुल्क नियमन करने का आदेश दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि नियमन बाबत पटवारी एवं भू०अ०नि० द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 प्रस्तुत की गई। जिसमें कॉलम नम्बर 14 आवेदित भूमि बाबत कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा मौके पर विवाद रहित है तथा कमाण्ड क्षेत्र नहीं है के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि "वर्तमान में कोई वाद मुताबिक रिकार्ड मौका नहीं है।" जबकि पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को यह पूरी तरह जानकारी रही है कि उक्त आराजी की बाबत पूर्व से ही काफी लम्बे समय से मुकदमा चल रहा है। जिस मुकदमे मे राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बतोर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा है और उनकी ओर से उपस्थिति दर्ज करा कर जवाब भी पेश कर दिया है।

इस प्रकार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से साजबाज होकर पेश की गई है। ऐसी स्थिति में भी उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। भू-प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा उक्त अपील संख्या 81/94 के निर्णय दिनांक 29.04.1995 में यह माना है कि उपरोक्त वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 42 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रूंध बीणक तहसील व जिला अलवर राज० प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को दिनांक 12.10.1972 को आंवटन की गई थी। उसके पश्चात प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को दिनांक 19.10.1970 को घटना बही क्रमांक सख्या 18/16 के जरिये मौके पर दखल दिया गया जिसके आधार पर पूर्व में रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण के नाम किये गये आवंटन एवं नामांतकरण संख्या 6 को निरस्त फरमाया गया है।

उपरोक्त आराजी विधिवत प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन को आवंटन की जाकर मौके पर दखल दिया गया है। उक्त आराजी से असल अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 या अन्य का उक्त आराजी से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है और ना ही वर्तमान में है। असल अप्रार्थी सं. 1 ला. 2 को उक्त आंवटन विधि विरूद्ध तरीके से दौराने वाद खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड किया जाकर गैरखातेदारी में अमल किया गया उसके पश्चात नांमातकरण संख्या 134 दिनांक 31.05.2022 के जरिये खातेदारी में स्वीकार किया गया है। उक्त आराजी से कभी भी आवंटन से पूर्व अथवा बाद आंवटन अप्रार्थी सं.1 ला. 2 का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अप्रार्थी सं.1 व 2 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज शख्स है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या-1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं.1 ला. 2 को जो आवंटन किया गया है वो विधिविरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त आराजी मुतनाजा पर सदैव से प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण की माता श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी हजारीलाल हरिजन की कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा प्रेमदेवी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आरजी मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वास्तविक रूप से विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं.1 व 2 को आज तक दखल किसी प्रकार का मौके पर नहीं दिलाया है। आराजी मुतनाजा को आवंटन करने से पूर्व अप्रार्थी

आ. [illegible] जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

संख्या–3 द्वारा न तो कोई प्रोफोलेशन जारी किया ना ही उक्त आवंटन आदेश की कोई किसी प्रकार से सार्वजनिक सूचना गांव में प्रकाशित करायी गई जिससे आवंटन आदेश काबिल निरस्तनीय है। कानूनन आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत हिस्से पर एवं दूसरे वर्ष सालिम आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना अनिवार्य होता है लेकिन आवंटन आदेश से आज तक आराजी मुतनाजा पर कभी भी अप्रार्थी सं. 1 ला. 2 ने काश्त नही किया है और ना ही उनका कोई कब्जा रहा है जिससे भी आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

आवंटित आराजी पर आवंटन के पश्चात नियमानुसार आवंटी को दखल दिलाया जाता है लेकिन आज तक आवंटी अप्रार्थी सं.1 ला. 2 को कोई दखल नही दिलाया गया है आराजी मुतनाजा आज भी सदैव से ही प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण अपनी माता श्रीमति प्रेमदेवी के जीवन काल से कब्जे काश्त के उपयोग व उपभोग में आ रहे है। आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन व गरीब किसान नहीं था, बल्कि साधन सम्पन्न व्यक्ति है, जबकि इसके विपरीत मिन प्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नही की गई है जिससे भी आवंटन आदेश काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या–3 ने आंवटी से साजबाज होकर प्रार्थी व ग्राम वासियों व अन्य आम व्यक्तियों की गैरमौजूदगी व गैर जानकारी में आवंटन की है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 01.04.2024 को हुई जबकि अप्रार्थी सं.1 ला. 2 ने प्रार्थी के क़ब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत की और आराजी मुतनाजा को दीगर लोगो को विक्रय करके रहेगा। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 02.04.2024 को समस्त दस्तावेजात की नकल प्राप्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः लिखित बहस के तथ्यो एवं दस्तावेजों पर गौर फरमाते हुए मिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी अलवर के आंवटन आदेश दिनांक 08.04.2022 निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस पर चिन्तन–मनन किया। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध बीणक तहसील व जिला अलवर की आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद से आदिनांक तक कभी भी अप्रार्थी सं. 1 ला. 2 ने काश्त नहीं किया है और ना ही उनका कोई कब्जा रहा है तथा प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण अपनी माता श्रीमति प्रेमदेवी के जीवन काल से उक्त आराजी पर कब्जा–काश्त कर उपयोग व उपभोग में करते चले आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन करने पर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.27 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध बीणक तहसील व जिला अलवर की आवंटित भूमि बाबत् न्यायालय हाजा के प्रकरण 16/144/2025 दर्ज दिनांक 21.04.2025 जिसमें दिनांक 30.04.2025 को विस्तृत निर्णय पारित कर उक्त आराजी के आवंटन/नियमन आदेश को निरस्त किया जा चुका है। चूंकि दोनों पत्रावलियां समान आराजी व प्रकृति होने के कारण अपील हाजा में पुनः निर्णय/आदेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)